(प्रसारा)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

179/2021/राज.प्रा.प.न. गोपाल बनाम श्रीमती नौसर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/179 श्री रामसुख चौधरी श्री पी.पी. सिंह राजावत	

गोपाल बनाम नौसर वगैरह

15.9.21 बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील दिनांक 28.07.2021 को वास्ते सुनवाई हेतु नियत थी। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज फरमा दी गयी। अपील में बरवक्त लगवाये जाने आवाज अपीलांट/अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण बरवक्त आवाजें दिलाये जाने पर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और बाद में जब उपस्थित हुए तब तक पता चला कि अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमाई जा चुकी है। अपीलांटस को अभिभाषक ने यह आवश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देगें इस कारण से भी प्रार्थी नियत दिनांक 28.07.2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। न्यायहित में अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी के साथ उचित न्याय हो सकें। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील को पुनः मूल नम्बर पर लिया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उक्त प्रकरण पूर्व में भी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है, जिससे प्रतीत है कि अपीलांट एवं उनके अभिभाषक जानबूझ कर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते है एवं प्रकरण के प्रति लापरवाह है।. माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने के कारण अपील को विधि सम्मत खारिज किया है। इसलिए उक्त बाजदायरी प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें। यदि माननीय न्यायालय द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं तो भारी कोस्ट पर स्वीकार किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन माननीय उच्चतर न्यायालय ने अपने विभिन्न आदेशों में यह कथन किया कि "वकील की गलती के कारण मामला खारिज तथा मुवक्किल पीड़ित नही होना चाहिए" एवं प्रकरण तकनीकी बिन्दु पर खारिज नही किये जाकर, मेरिट पर निस्तारण किये जाना चाहिए। हम उक्त बाजदायरी प्रार्थना पत्र को 500/—(पॉचं सौ रूपये) कोस्ट पर स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट 500/—रूपये कोस्ट राजस्व बार संघ में जमा करावें, रसीद पेश करें।

अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र को 500/—रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.07.2021 को निरस्त किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर